77

संख्या– 1565/XXVIII–5–2012–138/2007

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 10 दिसम्बर,2012

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, उपराईखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–801/XXVIII–5–2007–138/2007, दिनांक 10.01.2008 तथा आपके पत्रांक–7प/1/एस0ए0डी0/32/2007/251, दिनांक 28.01.2011 एवं पत्रांक–7प/1/एस0ए0डी0/32/2007/39009, दिनांक 19.11.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, उपराईखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत मूल लागत ₹55.81 लाख के सापेक्ष आंकलित पुनरीक्षित लागत ₹69.33 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹66.34 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹40.00 लाख के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹26.34 लाख (रूपये छब्बीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर को उपलब्ध करायी जायेगी। अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वर्ष में करते हुए सम्पूर्ण अवशेष कार्यो को स्वीकृत पुनरीक्षण लागत में ही पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब हेतु किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रहा धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

P.T.O

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
10. उक्त के संबध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 07 एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण 00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–149(पी0)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नः–सॉफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1565(1)/XXVIII–5–2012–138/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/ पौड़ी गढ़वाल।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5– निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढ़वाल।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।